महोबा पुलिस

दिनांक- 03.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 124/26

सर्किल –चरखारी, थाना – श्रीनगर

सोशल मीडिया पर अवैध असलहा लहराने वाला युवक गिरफ्तार, हथियार प्रदर्शन पर पुलिस की सख्त कार्यवाही।

"शौक नहीं, अपराध है — सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन"

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में, थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री जयचन्द्र सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा जनपद महोबा में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा सोशल मीडिया पर आपराधिक गतिविधियों के प्रदर्शन एवं अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की गई।

सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रकरण संज्ञान में आया कि थाना श्रीनगर क्षेत्र के भैरोगंज मोहल्ले में एक युवक द्वारा जन्मदिन पार्टी के दौरान केक काटने के बाद खुलेआम अवैध तमंचा लहराते हुए फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी। उक्त फोटो "Samrat Ashish Singh Kushwaha" नामक फेसबुक प्रोफाइल से साझा की गई, जिसमें बाइक की सीट पर केक रखकर हाथ में अवैध तमंचा प्रदर्शित करते हुए कानून का उल्लंघन किया गया।

प्रकरण का संज्ञान लेते हुए थाना श्रीनगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त आशीष कुशवाहा पुत्र श्री नन्दराम, उम्र 22 वर्ष, निवासी मुहल्ला भैरवगंज, कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा को मय अवैध असलहा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना श्रीनगर पर मु0अ0सं0 89/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

पुलिस की अपील / जागरूकता संदेश :

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का अवैध शस्त्र प्रदर्शन, स्टंट या कानून-विरुद्ध गतिविधियों का प्रचार-प्रसार न करें। इस प्रकार की हरकतें न केवल कानूनन अपराध हैं, बल्कि समाज में गलत संदेश भी देती हैं। ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक- 03.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 125/26

महोबा पुलिस

सर्किल –कुलपहाड़, थाना – पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पनवाड़ी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी द्वारा गठित टीम, जिसमें उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्रा, उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव, का0 शिवबाबू एवं का0 शीलेश यादव शामिल रहे, द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचना एवं लंबित अभियोगों के निस्तारण के दौरान अर्जुन सहाय नहर पुलिया के पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त चन्द्रभान अहिरवार पुत्र छन्नू लाल, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम रिछा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना पनवाड़ी पर मु0अ0सं0 64/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी तथा उसे माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्रा, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
2. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
3. का0 शिवबाबू, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
4. का0 शीलेश यादव, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

बरामदगी-

- एक अदद तमंचा 315 बोर
- एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त-

चन्द्रभान अहिरवार पुत्र छन्नू लाल, निवासी ग्राम रिछा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

दिनांक- 03.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 126/26

महोबा पुलिस

सर्किल –कुलपहाड़, थाना – महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 03.06.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के मार्गदर्शन एवं श्री रविकान्त गौंड, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई।

उ0नि0 रोहित कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा तेली पहाड़ी मोड़, बहद ग्राम तेलीपहाड़ी से 01 अभियुक्त को अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त रोहित पुत्र गौरीशंकर, उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी ग्राम पिपरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा है।

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना महोबकंठ पर मु0अ0सं0- 76/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रोहित कुमार, थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. रि0कां0 अवनीश यादव
3. रि0कां0 सारंग रंजन मिश्रा

बरामदगी-

- एक अदद देशी तमंचा 315 बोर
- एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

रोहित पुत्र गौरीशंकर, निवासी ग्राम पिपरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा

दिनांक- 03.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 127/26

महोबा पुलिस

सर्किल –नगर, थाना – कबरई

थाना कबरई पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर महोबा श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थानाध्यक्ष थाना कबरई श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा व0उ0नि0 अनुरुद्ध प्रताप सिंह मय हमराहीगण के साथ आज दिनांक 03.06.2026 को 01 नफर वांछित अभियुक्ता श्रीमती लीला पत्नी बाबूलाल श्रीवास, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियुक्ता के विरुद्ध मु0अ0सं0 110/2026 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना कबरई जनपद महोबा में पंजीकृत था। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्ता को ग्राम मकरबई से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्ता को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

वांछित अभियुक्ता:

श्रीमती लीला पत्नी बाबूलाल श्रीवास, उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. व0उ0नि0 अनुरुद्ध प्रताप सिंह
2. का0 प्रदीप कुमार यादव
3. महिला आरक्षी पिंकल सिंह

दिनांक- 03.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 128/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा की अध्यक्षता में व्यापारियों संग मासिक गोष्ठी सम्पन्न

सुरक्षित व सुगम व्यापारिक वातावरण हेतु महोबा पुलिस का संवाद...

आज दिनांक 03.06.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभाकक्ष में जनपद के प्रमुख व्यापारी संगठनों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मासिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों के साथ समन्वय स्थापित कर जनपद में सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुगम व्यापारिक वातावरण को और अधिक सुदृढ़ बनाना रहा।

गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा ने उपस्थित व्यापारियों से पुलिस प्रशासन के प्रति अपेक्षाओं, कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी व कठोर कार्यवाही जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यापारियों की सुरक्षा एवं सुविधा पुलिस की प्राथमिकता है।

इस अवसर पर व्यापारी बंधुओं द्वारा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए गए। प्रमुख रूप से अतिक्रमण की समस्या, गुगौरा चौकी क्षेत्र में सड़क निर्माण के कारण उत्पन्न जाम, विशेष अवसरों पर वन-वे व्यवस्था लागू करने, विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक प्रबंधन, सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता सुनिश्चित करने तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती जैसे मुद्दों पर सार्थक संवाद हुआ।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने सभी सुझावों को गंभीरता से लेते हुए आश्वस्त किया कि प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, जिससे जनपद में सुरक्षित एवं सुचारु व्यापारिक माहौल कायम रह सके।

उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि अपने प्रतिष्ठानों में सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिष्ठानों एवं बाजारों के प्रवेश/निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करें। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी निगरानी अपराध नियंत्रण में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होती है, जिससे अपराधियों की पहचान एवं गिरफ्तारी में सहायता मिलती है।

साथ ही, बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए उन्होंने साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1090 एवं संबंधित पोर्टल/वेबसाइट की जानकारी दी और कहा कि "साइबर जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है।"

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह सहित जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए व्यापारी संगठनों के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।